INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP47712174599112X

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP47712174599112X
Certificate Issued Date	:	20-May-2025 02:06 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14684604/ MAHRAJGANJ SADAR/ UP-MHR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14684604928280708312 39X
Purchased by	:	SAHAYATA EDUCATIONAL AND CHARITABLE TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SAHAYATA EDUCATIONAL AND CHARITABLE TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SAHAYATA EDUCATIONAL AND CHARITABLE TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	700 (Seven Hundred only)

Please write or type below this line

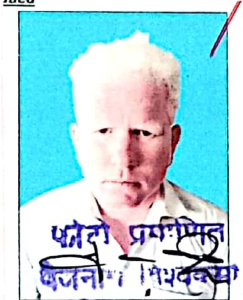
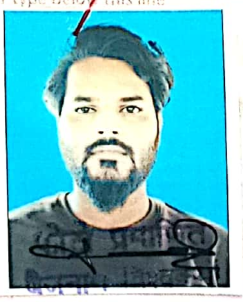

फोटो प्रमाणित (वसीकानवीस) सदर, महराजगंज

PF 0006156027

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned by CamScanner

पैरामेडिकल कालेज, मेडिकल कालेज, प्रबन्धन तथा विधि महाविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

6. प्रौढ़ शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्ययस्था करना एवं संचालन करना, शिक्षा का देश–प्रदेश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना व संस्थानों की स्थापना करना।

7. बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्कूल, टेक्निकल कालेज, सी0बी0एस0ई0 के स्कूलों की स्थापना करना उ0प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थानों की स्थापना करना तथा संचालन करना।

8. पर्यावरण संरक्षण को बढाया देना तथा इस उद्देश्य हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिविद्धत करना ।

9. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनता को अध्ययन, अनुसंधान, अध्यापन आदि की संस्थाओं आदि में सुविधा प्रदान करना जिससे कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह हो सकें। इस न्यास व इसके उद्देश्यों का प्रचार–प्रसार ऐसे माध्यमों द्वारा करना जो उचित समझे जाये। विशेष रूप से जैसे प्रेस परिपत्र (सरकुलर्स) इसके कार्यो के प्रदर्शनी, पारितोषिक तथा दान आदि वितरित करना।

10. अस्पताल, स्कूल, मदरसे, इदायरे अभियन्त्रता, चिकित्सा, प्रबन्धन तथा विधि विद्यालय, डिस्पेन्सरी, प्रसूति गृह बाल कल्याण केन्द्र परिचर्या गृह तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्त संस्थाओं की जन सामान्य के लाभ हेतु भारत या विदेश में ही स्थापना करना, उनका उत्थान करना व उन्हें धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना ।

11. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी व टीकाकरण परीक्षण शिविरों आदि का आयोजन करना।

12. ट्रस्ट का उद्देश्य धर्म व जाति का परस्पर विवाद न हो व विश्व में शान्ति कायम रखने के लिये शत्–प्रतिशत् वचनबद्ध है व निर्विकार रूप से मानव को मानव से प्यार सिखाने व करने के लिये भाईचारा प्रकोष्ठ बनाकर "एक पिता की सब संन्तान, जाति धर्म विवाद का मिटे निशान" की प्रणाली लागू करना। अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयत्न करना।

13. ट्रस्ट निराश्रित वृद्ध मॉं–बाप की सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुऐ उनकी रहन–सहन, खान–पान, मूल–भूत सुविधाओं सहित वृद्धाश्रम आदि की व्यवस्था करना। मानव जाति में भीख मांगने वालों की संख्या दिन–प्रतिदन बढ़ती जा रही है इस प्रणाली को खत्म करने की कोशिश के साथ–साथ उन सभी प्रकार के भिखारियों के लिये आवास, रोजगार, भोजन वस्त्रु आदि सहित सभी मूलभूत सुविधाएँ दिलाते हुये उनका स्वाभिमान के साथ बौद्धिक, चारित्रिक, मानसिक, अध्यात्मिक विकास करने का प्रयास कर उन्हे मानव कल्याण के लिये मानव सेवा में प्रेरित करना। गरीब व असहाय लोगों की मदद करना।

Scanned by CamScanner

14. शत प्रतिशत मतदान, पल्स पोलियो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, उपभोक्ता हित, एच0आई0वी0 एड्स से बचाव, जन्म–मृत्यु पंजीकरण भ्रूणा हत्या रोकने, उत्तम खेतीबाडी, मिश्रित खेती हेतु जैसे मधु मक्खी पालन, डेयरी, पोल्ट्री फार्म आदि के लिये जन जागरण अभियान चलाना।

15. मानव कल्याण के लिये राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार के सभी मन्त्रालयों /विभागों/निगमों/आयोगों/परिषदों/प्रतिष्ठानों आदि द्वारा चलायी जा रही उन सभी मानव कल्याणकारी आधुनिक व नवीनतम योजनाओ/परियोजनाओं का हक दिलाने का संस्थान पात्र–अपात्र का पैमाना मानकों के आधार पर शासन–प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से जॉचकर सही रिपोर्ट देते हुये सर्व समाज को सम्पूर्ण लाभ दिलाने का सार्थक प्रयास करना।

16. उपरोक्त के आधार पर जीवन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तार्किक जीवन यापन को बढ़ावा देना।

17. उपरोक्त हेतु वैज्ञानिक कार्यशालाओं/अनुसंधान अध्ययनो तथा व्यवहारिक कार्यक्रमों को बढावा देना।

18. उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित करने वाले संगठनो समूहों या व्यक्तियों को सलाह प्रदान करना।

19. न्यास के उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु किताबें, समाचारपत्र, सार्वधिक (पिरियोडिकल्स) जर्नल, संवाद पत्र (न्यूज लेटर) दृश्य–श्रव्य एवं डिजिटल डाटा आदि का प्रकाशन करना।

20. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यरत व्यक्तियों, समूहों संगठनों एवं समितियों आदि के लिये सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करना।

21. पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इन उद्देश्यों हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिविदित करना। पृथ्वी पर पर्यावरण के संतुलन के लिये पर्यावरण के विकास और प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पार्क, खेल के मैदान स्थापित करना, वृक्ष आदि लगवाना तथा इसके लिये सेमिनार, वर्कशाप, कैम्प व ट्रेनिंग कक्षाएं लगाना व अन्य प्रयास करना।

22. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कानूनों लाभकारी नियमों एवं परिनियमो के निर्माण हेतु वार्ताओं, संगोष्ठी आदि के आयोजन में सुविधा प्रदान करना जिससे कार्यो एवं दायित्वो का निर्वहन अच्छी तरह हो सके। कानूनी अधिकारों प्रति जागरूकता बढाना व उचित न्याय दिलाने का प्रयास करना। भ्रष्टाचार विषय पर जागरूकता व निवारण के लिए कार्य करना।

23. इस न्यास व इसके उद्देश्यों का प्रचार प्रसार ऐसे माध्यमों द्वारा करना जो उचित समझे जायें, विशेष रूप से जैसे प्रेस परिपत्र (सरकुलर्स) इसके कार्यो की प्रदर्शनी, पारितोषिक, प्रोत्साहन तथा दान आदि वितरित करना। न्यास के उद्देश्यो के संबन्ध में अनुवेश एवं सन्दर्भ पुस्तकालय स्थापित करना तथा उसमें पढ़ने–लिखने के कमरे स्थापित करना और पुस्तकों पत्रिकाओं समाचार पत्रों तथा अन्य प्रकाशनो को उपलब्ध कराना।

Scanned by CamScanner

24. बाल कल्याण केन्द्र, परिचर्या गृह, क्रेच, तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्ति संस्थाओं को जन सामान्य के लाभ हेतु भारत या विदेश मे स्थापित करना, उनका उत्थान करना व उन्हें धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

25. परिवार कल्याण ,व उससे संबधित अन्य समस्त प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना। महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करना, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियो व उनका शोषण रोकने का प्रयास करना।

26. भारतीय तथा अन्य देशों में स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, प्रयोगशालाओं बचत निधि एव अन्वेषण संस्थान व अन्य इसी प्रकार के संस्थान जो छात्र व कर्मचारियों के लाभ के लिये हो, को स्थापित करना, चलाना मदद करना व आर्थिक सहायता देना तथा शिक्षा का विकास एवं प्रगति और ज्ञान का जन सामान्य मे प्रसार करना।

27. विभिन्न संक्रामक/गैर संक्रामक बीमारियो जैसे–एड्स मस्तिष्क ज्वर, कुष्ठ रोग, कैंसर, पोलियो, मोतियाबिन्द आदि के रोक–थाम के लिए सरकार व अन्य सामाजिक संगठनो तथा व्यक्तियों की मदद के लिये कार्य करना।

28. उद्यान (पार्को) व्यायामशाला, कीडा क्लब व धार्मिक स्थान व विश्राम गृह, मनोरंजन क्लब, धर्मशाला आदि की जन सामान्य के उपयोग के लिये स्थापना करना, उन्हें चलाना तथा उनकी सहायता करना।

29. शारीरिक रूप से विकलांग, अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियो के लिये, संस्थान की स्थापना करना तथा विकास करना जिसमें एसे व्यक्तियों की शिक्षा, भोजन, कपडा आदि देकर सहायता की जाये। तथा नियमित रूप से भंडारा करना। श्रमिकों के उत्थान एवं उनका शोषण रोकने के लिए कार्य करना।

30. अन्य सामाजिक पूर्ति (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।

31. कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह–उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, रिश्वतखोरी व मिलावटखोरी का विरोध, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्रावधिक, चिकित्सा, कम्प्यूटर, कृषि इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान, प्रोद्यौगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्यौगिकी, महिला कल्याण, भाषा धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ, चिकित्सा आयुर्वेद, होम्योपैथिक चिकित्सा, मनोरंजन, बाल विकास , पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व , खनिजकर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमिविकास, जलसंसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्धविकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, मद्यनिषेध, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय ,विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायती राज, बैंकिग, भाषा मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी, सतर्कता समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं विधायी संस्थाये, नियोजन, निर्वाचन, पंचायती राज, बैंकिंग भाषा, मुद्रण व लेखन, भूमि विकास, जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, सर्तकता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना व जनसंपर्क, अल्पसंख्यक

Scanned by CamScanner

कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा–यमुना आदि स्वच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियां, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंतत्रता सग्राम सेनानी उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भन्डारण, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें, आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना।

32. उपरोक्त सभी किया–कलापों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं/अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टों तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान/मदद प्राप्त करना।

33. छात्र–छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, वृद्धों, विधवाओं तथा अनाथों के लिये छात्रावास/आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा/भोजन की सुविधाओं भी हों।

34. सामाजिक कुरीतियों, जैसे नशाखोरी में लिप्त लोगों का उनकी श्रेणी के अनुसार उपचार के लिये चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनकी आवश्यक निःशुल्क चिकित्सा कर समाज में उन्हें पुनःप्रतिष्ठित कराने हेतु प्रयास करना। दैवी आपदा जैसे भूकम्प, अग्निकांड, सूखा, बाढ़, महामारी, भयंकर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की हर संभव सहायता करना। स्वास्थ्य व आरोग्य संबंधी जानकारी, परिवार नियोजन, पुष्टाहार तथा टीकाकरण की समस्त जानकारी उपलब्ध कराना।

35. मानसिक रोगों की जानकारी देना तथा मरीजों, महिलाओं, बच्चों के लिए उचित चिकित्सा प्रबंध करना।

36. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के कम में सचल चिकित्सालयों की स्थापना करना। रक्तदान, नेत्रदान, को प्रोत्साहित करना तथा नेत्र रोगों व मूक–बधिरों की समस्याओं का निवारण करना और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। इसके साथ ही दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उचित सहायता प्रदान करना। समाज में गुणात्मक और मूल्यात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल, कॉलेज, टैक्निकल और प्रोफेशनल इन्स्टीट्यूट, चैरिटेबल मेडिकल एण्ड सर्जिकल सेन्टर, पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर, चैरिटेबल क्लीनिक व अस्पताल आदि खोलना, खुलवाना तथा इनका रख–रखाव करना। अस्पताल,स्कूलो, अभियंत्रण चिकित्सा, प्रबन्धन तथा विधि विद्यालय, डिस्पेंसरी प्रसूति गृह की स्थापना करवाना।

37. उच्च शिक्षा व अनुसंधान के लिये स्कॉलरशिप देना तथा प्रोत्साहित करना।

Scanned by CamScanner

38. समाज में कमजोर वर्गों, गरीब लोगों का स्वास्थ्य, शैक्षगिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास आदि के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

39. समाज में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक कार्य बहस समूह स्थापित करना ।

40. बेकार व बंजर भूमि को पट्टे आदि पर लेकर उसमे सुधार करना, पौधारोपण करना, कृषि योग्य बनाना तथा इंडस्ट्रीयल एरिया, कारखानों और रिहायशी इलाको आदि में हरित पट्टियाँ बनाना, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे ।

41. नौनिहाल बच्चो के लिए आगंनवाडी खोलना व यतीम बच्चो के लिए यतीम खाने खोलना । यतीम व विकलांग लड़कियों के लिए हस्तकला, दस्तकारी जैसे रोजगार मुखी शिक्षा प्रदान करना ।

42. उम्र दराज लोगों के लिए वृद्धाश्रम स्थापित करना और वृद्ध लोगों की तमाम जरूरतें पूरी करना तथा पेंशन दिलाना ।

43. सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज बलि, दहेज प्रथा, छुआछूत, नशा आदि और शोषण के विरुद्ध समाज को एकजुट करना और इनको समाप्त करने के लिए हर संभव कार्य करना ।

44. मानवाधिकार दिलाने व न्याय दिलाने व सामाजिक विकास, परिवार नियोजन हेतु जागरूक करना व शिक्षा उपलब्ध कराना । जीवन विकास के लिए जनसंख्या व संसाधनो के मध्य संतुलन स्थापित करना ।

45. समाज में लिंग अनुपात को स्थापित कराने हेतु कार्य करना व बाल श्रम को समाप्त करने के लिए मुफ्त कानूनी सहयोग प्रदान करना । ग्रामीण विकास के लिए कार्य करना । सफाई व्यवस्था और साफ पीने के पानी का प्रबंध करना । सरकारी योजनाओ को लागू करने और सुखा, बाढ़, भूकम्प, समुंद्री तूफान आदि के समय प्रशासन के साथ सहयोग करना ।

46. धर्मार्थ कार्यों हेतु देश विदेश में कार्यरत संगठनो, संस्थाओं आदि के कार्यकर्मो व प्रोजेक्ट्स में सहयोग करना ।

47. मानवता, आपसी सहयोग एवं भाईचारा तथा राष्ट्रीय एकता के लिए समुदाय के लोगों को जागरूक करना ।

48. राष्ट्रिय भावना का विकास करना, पवित्र धार्मिक स्थानों व सम्बंधित गतिविधियों की देखभाल करना तथा हिंसा और आतंकवाद आदि से धर्म व मानव जाति की रक्षा करना तथा लोगों के अन्दर से धार्मिक संकीर्णता खत्म करना । विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव और सहिष्णुता स्थापित करना तथा धार्मिक साहित्य छपवाना, बातचीत, बैठकों, सेमिनार आदि के माध्यम से आमजनता को जागरूक करना ।

49. उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सभी वैध और संभव कार्य करना ।

Scanned by CamScanner

50. कालेज, आवासीय विद्यालय की स्थापना करना जिसमें समाज के सभी वर्गों के बालक/बालिकाओं का शैक्षिक विकास हो सके जिस हेतु बालिका– बालक विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, एवं अन्य विद्यालय प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था करना एवं उनके लिये भोजन, वस्त्र, छात्रावास आदि की निःशुल्क व्यवस्था शासन के मानकों के अनुसार करना।

51. समाज कल्याण की योजनाओं के अन्तर्गत बेरोजगार विकलांग महिलाओं/पुरुषों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना।

52. भारतीय कृषि एवं कृषकों को कृषि में जैविक तकनीक के प्रति जागरुक करना एवं इसके प्रयोग हेतु अभियान चलाना। किसानों को खेती सम्बन्धित जानकारी देना।

53. प्राविधिक शिक्षा स्कूल, डिग्री कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज एवं आई0टी0आई0 की स्थापना शासन के मानकों के अनुसार करना।

54. कैंसर, टी0बी0, हेपेटाइटिस, मधुमेह जैसी जानलेवा बीमारियों, कुष्ठ उन्मूलन, परिवार कल्याण, पल्स पोलियो आदि की पहचान व रोकथाम हेतु जागरुकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरुक करना, आवारा पशुओं से फैलने वाले रोगों के प्रति जागरुकता अभियान चलाना, परिवार नियोजन व मातृ–शिशु कल्याण कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु कार्य करना। साथ ही तेजी से महामारी का रुप लेती मौसमी बीमारियों जैसे मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, आदि के रोक थाम के प्रति जागरुकता, जनचेतना हेतु कार्य करना।

55. महिलाओं, बालिकाओं, युवाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्प कला, ललित कला, क्रियेटिव राइटिंग, एवं मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन एवं रेफ्रीजिटेर, फैशन डिजाइनिंग, चिकनकारी, जरी, हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग, डालमेकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, मिट्टी के बर्तन, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

56. प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक शिक्षा, टाइप, शार्ट हैण्ड शिक्षा, प्रतियोगितात्मक निःशुल्क कोचिंग शिक्षा, दिलाने हेतु शासन के मानकों के अनुसार केन्द्र खोलना व उन्हें संचालित करना।

57. बाल श्रम को समाप्त करने में सहयोग करना तथा युवाओं व बालक, बालिकाओं को स्वालम्बी बनाने हेतु निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में हर सम्भव मदद करना।

58. दलितों शोषित एवं सेक्स वर्करों के बच्चों के पुनरुत्थान हेतु कार्य करना।

59. भारतवासियों में राष्ट्रीय प्रेम के लिये प्रोत्साहित करना और उग्रवाद, आतंकवाद, माओवाद से देशवासियों को खून खराबे से रोकना, देश में एकता अखंडता बनाये रखना शिक्षा एवं समस्त जाति के लोगों में आपसी भाईचारा प्रेम बनाये रखना और शिक्षा पर ध्यान देना।

Scanned by CamScanner

60. केन्द्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार अन्य ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना व प्रचार प्रसार करना।

61. समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान के लिये लघु उद्योग, कुटीर उद्योग प्रशिक्षण व उत्पादन करना जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सके। लोगो के जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये कृषि, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन पशुओ मे सुधार एव पशुओ के कल्याण एवं जागरुकता अभियान, उद्योग तथा सेवाओं के लिये विकास योजनाए बनाना तथा कार्यक्रम चलाना।

62. समाज के निर्बल वर्ग समुदाय के व्यक्तियों के शैक्षिक सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिये विशेष रूप से कार्य करना तथा उनके लिये शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।

63. शिक्षित युवक/युवतियों को रोजगार के अवसर व साधन उपलब्ध करवाना तथा शिक्षित युवाओं के बीच नेतृत्व गुणों के विकास के लिये कार्य

64. ग्रामीण विकास के लिये कार्य तथा सफाई व्यवस्था और साफ पीने के पानी का प्रबंध करना।

65. मूवी प्रोडक्शन एवं वीडियोग्राफी, विज्ञापन, विज्ञापन फिल्मों, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, शिक्षाप्रद फिल्मों का प्रोडक्शन करना आदि।

66. स्पोर्ट्स गेम की स्थापना करना, स्पोर्टस स्टेडियम, समस्त खेलों हेतु संस्थान का संचालन करना।

67. आउट सोर्सिंग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार एव भारत सरकार के विभागों में चतुर्थ कर्मचारियों से लेकर उच्च अधिकारियो तक मानक के अनुसार सेवा मे सहयोग प्रदान करते हुए उक्त कर्मचारियों को विभागों में संविदा एवं कान्टैक्ट बेसिस पर कर्मचारियो को उपलब्ध कराना। आउट सोर्सिंग के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उददेश्य से समस्त सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग द्वारा अनुबन्ध के आधार पर नौकरी दिलाना।

68. मनरेगा का सर्वे एवं मनरेगा उददेश्यों की पूर्ति के लिए समाज के लोगों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना।

Scanned by CamScanner

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) की शक्तियां–

ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियो को अप्रभावित रखते हुए, और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 मे कुछ भी विपरीत लिखे होते हुए भी भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानो के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियां धारण करेगी।

- ट्रस्ट/न्यास के लिए सहयोग, चन्दा आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, .एसोशिएसन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप मे शर्तों को स्वीकार करना।
- इस न्यास पत्र की शर्तो के अधीन न्याय की सम्पतियां तथा आय या उसके किसी भी भाग को न्यास के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु अपने विवेक के अनुसार समय–समय पर उपयोग करना।
- इस न्यास राशि को बढ़ाने हेतु न्यास की शर्तों के अधीन न्यास के लिये चल व अचल सम्पत्तियां प्राप्त करना।
- न्यास के उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु समय–समय पर न्यास की सम्पत्तियों का विक्रय करना, बंधक रखना, पट्टे पर देना, लाईसेंस पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 (1) तथा धारा 11 (5) व सबन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं मे लगाना।
- विभिन्न योजनाओं मे लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना उसमें परिवर्धन करना या निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यो के हित मे समझौता करना, अनुबंध करना तथा उन्हें परिवर्तित व निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यो हेतु अनुदान प्राप्त करना या देना उसकी रसीद देना या प्राप्त करना।
- सरकार के समक्ष तथा न्यायालय, ट्रिब्यूनल, राजस्व, म्युनिसिपल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमें वाद, अपील रिव्यू चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्य अधिकारियो व निकाय व ट्रिब्यूनल के समक्ष वाद को दायर करना, उन्हें चलाना तथा वादों में जो न्यास के विरूद्ध दायर किये गये हो से न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।
- न्यासियो द्वारा निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यों हेतु नियुक्त करना और न्यास की ओर से व्यक्तियो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवायें समाप्त करना। न्यास ट्रस्ट के किसी कार्य को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकगा या चुनौती नही दी जा सकगी।
- न्यास की सपत्ति या क्रिया–कलापो के जरुरी प्रबन्धन के लिए न्यास ट्रस्ट जो भी व्यय या खर्च आवश्यक समझे, उनका वहन करना। वर्तमान मे न्यास के पास कोई संपत्ति नहीं है।
- न्यास या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के संबन्ध में बैंक मे खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।
- न्यास की ट्रस्ट समिति पर अपनी कुछ शक्तियों के अन्तर्गत किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिर्धारित करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।
- **न्यास की चल या अचल संपत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना, जो इस न्यास के समान हो तथा आयकर अधिनियम 1960 की धारा 80–जी में मान्यता प्राप्त हो।**

Scanned by CamScanner

- न्यासियों की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय-समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उनमें परिवर्तन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- न्यास राशि के लिये सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तों दावों, माँग, मुकदमा आदि के संबन्ध में समझौता करने, मध्यस्थ को सौंपने तथा समीचित करना।
- समय समय पर प्रबन्धक या अभिकर्ता नियुक्त करना और प्रबन्धक या अभिकर्ता को अपनी शक्तियाँ प्रतिनिर्धारित करना और अधिकृत करना तथा समय-समय पर ऐसे या मुख्यार व अभिकर्ता को हटाना व उनके स्थान पर अन्य की नियुक्ति करना।
- न्यास उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम तथा योजनाएं बनाना व उनमें परिवर्तन करना और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया-कलापों के प्रबंधन आदि हेतु योजनाएं तथा परिनियम बनाना व उनमें परिवर्तन करना।
- जनहित में किसी भी पूर्व संस्था को प्रारम्भ करना, समाप्त करना, स्थगित करना, पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के संबन्ध में शर्त लागू करना।
- न्यास की आय न्यास के विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार विभाजित करना और न्यास निधि में जमा करना।
- देश व विदेश से न्यास एवं न्यास पूर्व संस्थाओं/सोसायटी/संगठन आदि की न्यास की आय में से दान आदि देकर सहायता करना, जिनके उद्देश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हों तथा और किसी भी प्रकार से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। ऐसे न्यासों, न्यास पूर्व संस्थाओं/समितियां/ संगठनो इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना अनुरक्षित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना।
- संस्था के खातों को व्यवस्थित करना तथा लाभ-हानि का दायित्व लेते हुए न्यास के कार्य-कलापों, कार्यवाहिकों, मांगों, दावों या वाद विवाद में जैसा वह उचित समझे, समझौता करना, उसका परित्याग करना या न्यास को फैसले हेतु सौंपना।
- न्यास की संपत्ति पर या किसी अन्य प्रकार से जमानत पर या जमानत बिना ऋण लेना और न्यासीगण की सहमति पर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण धनराशि देय ब्याज इत्यादि की शर्तों का निर्धारण न्यासीगण द्वारा विवेकानुसार किया जायेगा।
- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार, सहकारी संस्थाओं, कार्पोरेशन कंपनी व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा, उपहार, अनुदान, मदद एवं धन लेने के लिये, प्रार्थना-पत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना। इस संबन्ध में सहायता संबन्धी शर्तों को निश्चित करना तथा शासकीय विभागों, सरकारी संस्थाओं कार्पोरेशन कंपनी व अन्य व्यक्तियों आदि से न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वार्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान को प्राप्त करना तथा ऋण वापसी आदि की शर्तें इत्यादि निर्धारित करना।
- न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी/संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ,ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।

Scanned by CamScanner

- न्यास की अन्य शाखा अथवा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिनके उद्देश्य समान हों) को स्थापित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हें इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।
- ऐसी संस्थाओ को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबंधित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस संबन्ध में शर्तें लागू करना।
- इस न्यास मे जिन अन्य न्यासों संस्थाओं, संगठनों, समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है, को खरीदना व प्राप्त करना।
- न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्य वाले न्यास/सोसाइटी/संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओ को अपने अधिकार में लेना।
- न्यास की अन्य शाखा अथवा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिनके उद्देश्य समान हों) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हें इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।
- ऐसी संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हे प्रतिबंधित करना या उन्हें सहायता प्रदान करना, संचालित करना या उन्हें इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।
- ऐसी संस्थाओ को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबंधित करना या उन्हें सहायता देना या प्रतिबंधित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस संबन्ध में शर्तें लागू करना।
- इस न्यास में जिन अन्य न्यासों संस्थाओं, संगठनों, समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है को खरीदना व प्राप्त करना।
- न्यास की संपत्ति, आस्ति, दायित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति, संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना, जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।
- न्यास को उन अन्य समिति संस्था, न्यास या संगठन को उन शर्तो में सौपना जिन्हें न्यासीगण उचित समझें, परन्तु इस संबन्ध मे चीफ ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासीगण अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायेंगे ओर न्यास की राशि भी हस्तान्तरित हो जायगी।
- न्यास के आवर्तक व अनावर्तक होने वाले खर्चों को निश्चित करना, उन्हें अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस संबन्ध में न्यासीगण कार्यभार के संबन्ध में और इससे संबधित होने वाली बैठकों के संबन्ध में नियम बना सकते हैं और उन नियमों को समय–समय पर संशोधित कर सकतें हैं। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम न्यास के मुख्य कार्यकारी द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त ही प्रभावी होंगे।

Scanned by CamScanner

- न्यास व इसकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्ध-न्यासी, व समिति आदि शामिल है, को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस संबन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना ,वं विभिन्न पूँजी व निवेश के संबन्ध में न्यास के प्रावाधानो के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।
- न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेय पर कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते है, जिससे न्यास का समुचित प्रबंधन किया जा सके।
- न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता अन्य व्यक्तियों से अधिकारियो या संस्था से उन शर्तों पर ले सकते जो उन्हे लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हो।
- न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियो का प्रयोग आपसी बहुमत के निर्णय के आधार पर कर सकेंगे और बहुमत द्वारा लिये, गये निर्णय प्रभावी, कानूनी व उचित माने जायेंगे।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के अनुमति से अन्य ट्रस्टो को वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराना।
- **वर्तमान प्रस्तुत विलेख में किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति का समावेश नहीं किया गया है।**
- **यह कि वर्तमान समय में उक्त न्यास के पास कोई भी अचल सम्पत्ति नहीं है न ही इस न्यास द्वारा किसी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया जा रहा है। ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है।**

7. ट्रस्ट की सदस्यता व प्रबन्ध समिति का गठन-

संस्थापक सदस्यों द्वारा ट्रस्ट को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने एवं अधिकतम कार्यकुशलता लाने के दृष्टिकोण से समाज के सम्मानित सदस्यों को ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनाया जा सकता है। ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाले ऐसे सभी लोग जो रू0 10,000) दान दें, संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर ट्रस्ट /न्यास के सदस्य बन सकते हैं। संस्थापक सदस्यों एवं नियमानुसार बनाये गये अन्य सदस्यों/ट्रस्टी/न्यासी को मिलाकर सभी सदस्यों को ट्रस्ट की साधारण सभा/न्यासी ट्रस्ट कहा जायेगा। साधारण सभा में अधिकतम 21 न्यासी / ट्रस्टी बनाये जा सकते हैं। परन्तु प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा।

Scanned by CamScanner

ट्रस्ट का कार्यकाल :–

ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा जब तक वह जीवित रहेगा, वह अपने पद पर बना रहेगा। मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की मृत्यु के बाद मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की पत्नी, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे इनके न रहने पर ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा मान्य होगा।

ट्रस्ट की वर्तमान प्रबन्ध समिति

क्र. स.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री एजाज अहमद	श्री जुमराती अली	ग्राम०- महमदा, पो०- श्यामदेउरवॉ, जि०- महराजगंज (उ0प्र0) मो०नं०-7080556462	अध्यक्ष/ मुख्य संस्थापक ट्रस्टी	समाज सेवा
2	श्री आफताब आलम खान	श्री जाकिर हुसैन	ग्राम– कतरारी, पोस्ट– पिपरपाती जिला– महराजगंज (ऊ0प्र0) मो0–न0– 9125334646	सचिव/ ट्रस्टी	समाज सेवा
3	श्री चन्द्रप्रकाश पटेल	श्री राजबली पटेल	ग्राम– बसहियॉ खुर्द, पोस्ट– बसहियॉ बुजुर्ग, जिला– महराजगंज (ऊ0प्र0)–273306, मो0न0–9125334646	सदस्य/ ट्रस्टी	समाज सेवा

8– ट्रस्ट का सदस्य बनने की योग्यता-

न्यास पत्र के बिन्दु–7 में उल्लिखित प्रावधान के बावजूद ऐसा कोई व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्य या अध्यक्ष नही बन सकता, जो–

1– पागल/मानसिक रूप से बीमार हो।
2– नैतिक अपराध के आरोप में सजायापता हो।
3– ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करें।

यदि ट्रस्ट का कोई सदस्य, सदस्य बनने के बाद उक्त तीनो में से किसी एक प्रतिबंध के अन्तर्गत आ जाता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त जो जायेगी।
इस संबन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसे किसी भी सदस्य को अध्यक्ष अपने विवेकानुसार कभी भी बर्खास्त कर सकेगा।

Scanned by CamScanner

ट्रस्ट (न्यास) के अंग –

ट्रस्ट (न्यास) मे निम्नलिखित दो वर्ग होगे।

- साधारण सभा
- प्रबन्धकारिणी समिति

साधारण सभा (गठन) – साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकता है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे इसके अतिरिक्त अध्यक्ष/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क 10,000/– रू0 मात्र जमा कराकर नये सदस्यो को सम्मिलित किया जा सकता है।

बैठकें –

- साधारण बैठक – ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी।
- विशेष बैठक – दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर या आवश्यकता पडने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि –

साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी समिति का अध्यक्ष अन्य ट्रस्टियों की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति –

बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थित होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन –

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

ट्रस्ट की साधारण सभा के कर्तव्य –

साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

- वार्षिक आय –व्यय बजट चेक करना।
- ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष की योजना एवं बजट निश्चित करना।
- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

Scanned by CamScanner

• ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय–समय पर उन कार्यों को करना जो समिति के हित में हों।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति – गठन –

साधारण सभा के सदस्यो द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे– अध्यक्ष–1, सचिव–1 एव सदस्य–1। लेकिन प्रबन्धक पद, अध्यक्ष/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी का होगा या अध्यक्ष/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति के सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगे और उस संस्था के प्रबन्ध समिति के सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किये जायेगे।

बैठक –

सामान्य –

सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का सचिव/ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष –

विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की मांग पर सचिव/ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

सूचना अवधि –

साधारण स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का सचिव/ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक बुला सकता है।

विशेष बैठक के लिए ट्रस्ट (न्यास) का सचिव/ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति –

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों की 2/3 की उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति –

किसी सदस्य के असामायिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) द्वारा निष्कासित होने पर रिक्त स्थान को प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के 2/3 बहुमत से

Scanned by CamScanner

भरा जायेगा जिसमे अध्यक्ष/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक होगी। यह प्रक्रिया मुख्य संस्थापक ट्रस्टी एव उसके उत्तराधिकारी को भरने के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति अध्यक्ष/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 10,000/-रूपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद अध्यक्ष/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी अथवा सचिव/ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

9. ट्रस्ट की कार्य प्रणाली/मुख्य न्यासी के कार्य-

1 ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगी। अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा वह प्रबंध समिति एवं ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा।

2 कोई भी निर्णय ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किये जाने पर ही ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा।

3 ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष मे दो बार कराया जाना आवश्यक होगा। बैठक बुलाने का दायित्व एवं बैठक मे लिये समस्त निर्णय तथा अन्य विचार विमर्श को लिपिबद्ध कराते हुए सुरक्षित रखने का दायित्व सचिव का होगा।

4. ट्रस्ट की साधारण सभा सदस्य संख्या की 1/4 की उपस्थिति बैठक के संचालन हेतु आवश्यक होगी। इसके अभाव मे कोरम (गणपूर्ति) का अभाव माना जायेगा। कोरम के अभाव में स्थगित हुयी बैठक को एक माह के भीतर दोबारा बैठक करना अनिवार्य होगा।

5. कोरम (गणपूर्ति) के अभाव मे बैठक आयोजित न होने की दशा में या अन्यथा भी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के हित मे लिया गया कोई भी निर्णय ट्रस्ट का निर्णय माना जायगा, किन्तु ऐसे किसी भी निर्णय के पक्ष समर्थन मे संस्थापक सदस्यो की कम से कम कुल सदस्य संख्या की 1/3 सदस्यों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

6 बैठक की सूचना सभी सदस्यो को उनके स्थायी पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से बैठक की दिनांक से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व दी जायगी।

10. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति

ट्रस्ट के निम्न पदाधिकारी होगे।

1-अध्यक्ष /मुख्य ट्रस्टी
2-सचिव / ट्रस्टी
3- ट्रस्टी

Scanned by CamScanner

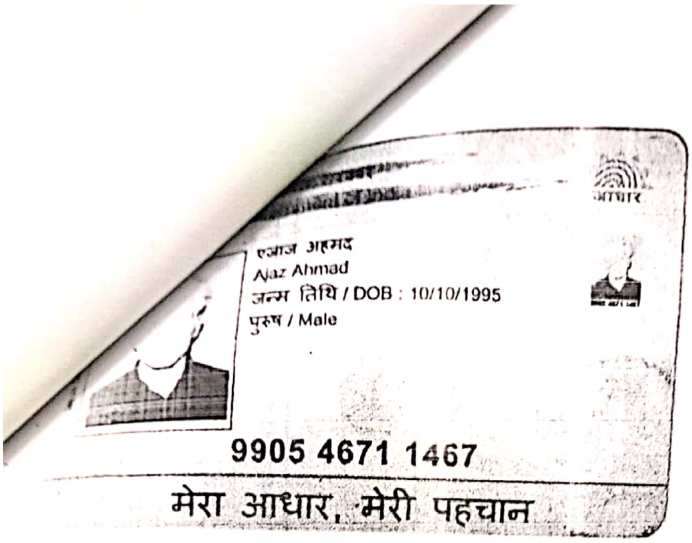

एजाज अहमद
Ajaz Ahmad
जन्म तिथि / DOB : 10/10/1995
पुरुष / Male

9905 4671 1467

मेरा आधार, मेरी पहचान

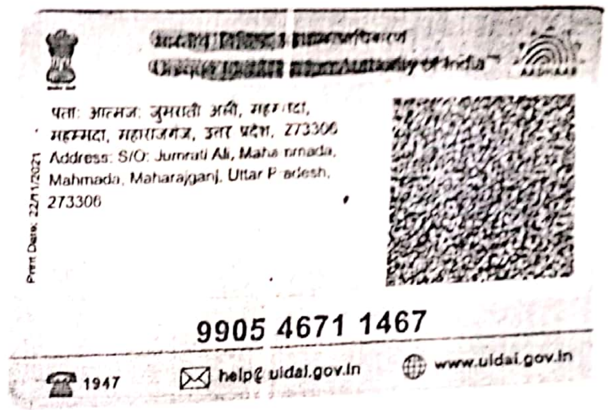

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: आत्मज: जुमराती अली, महम्मदा, महम्मदा, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, 273306
Address: S/O: Jumrati Ali, Mahammada, Mahmada, Maharajganj, Uttar Pradesh, 273306

Print Date: 22/11/2021

9905 4671 1467

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

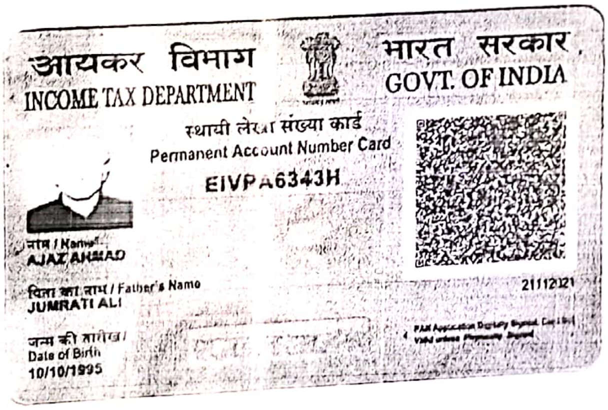

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

EIVPA6343H

नाम / Name
AJAZ AHMAD

पिता का नाम / Father's Name
JUMRATI ALI

जन्म की तारीख / Date of Birth
10/10/1995

21112021

Scanned by CamScanner

भारत सरकार
Government of India

नसीम अली
Naseem Ali
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1996
पुरुष/ MALE

9596 2907 7992
VID : 9136 0475 7745 6050
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

अब्दुल्लाह अली, 385, ग्राम पकड़ी भारत खण्ड पोस्ट कटहरी, कटहरी खुर्द, महाराजगंज, प्रदेश - 273163

ress:
D Abdullah Ali, 385, gram pakadi bharat
and post katahari, Katahri Khurd,
aharajganj,
tar Pradesh - 273163

9596 2907 7992
VID : 9136 0475 7745 6050
1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

नसीम अली

Scanned by CamScanner

गवाह

भारत सरकार
Government of India

मो. निजामुद्दीन
MD. NIJAMUDDIN
जन्म तिथि/DOB: 10/08/1989
पुरुष/ MALE

4254 5184 2337
VID : 9188 9243 6539 0146

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
[illegible] - 273306

Address:
C/O MD AMINUDDIN, VILL AND POST
BARAHARA BARAIPAR DIST MAHARAJGANJ,
Barahara Baraipar, Maharajganj,
Uttar Pradesh - 273306

4254 5184 2337
VID : 9188 9243 6539 0146

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

Scanned by CamScanner

ट्रस्ट के **अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी** का चयन ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में से किया जायेगा। इस संबन्ध में संस्थापक सदस्यो की सभा का निर्णय अन्तिम होगा। सचिव का चयन ट्रस्ट की साधारण सभा द्वारा अपनी बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत का सर्मथन न मिलने की दशा में संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा उक्त पद धारकों का चयन किया जायेगा। किसी कारणवश किसी दशा में चयन न हो पाने की दशा में अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी द्वारा उक्त पदों पर चयन होने तक पदाधिकारियों को मनोनीत किया जायेगा।

11. <u>ट्रस्टियों/न्यासीगणों के अधिकार</u>

ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यों के निम्नवत अधिकार होंगें।

(क) अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी

- ट्रस्ट की साधारण सभा या पदाधिकारियों या अन्य सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारू संचालन हेतु नियम निर्देश तय करना।
- मतदान की स्थिति में समान मत होने की स्थिति में मतदान करना।
- ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।
- सचिव का चयन करना।
- न्यास व न्यास से संबन्धित समस्त संस्थाओं के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा संचालन तथा सेवा समाप्ति ।
- न्यास से संबन्धित समस्त संस्थाओं के संबन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों (जो ट्रस्ट द्वारा दिये गये हों) के कियान्वयन को स्वयं या किसी के माध्यम से सुनिश्चित करना।
- न्यास की समस्त राशियों के खातों का सचिव के सहयोग से संचालन।
- ट्रस्ट के कोष के समस्त प्रकार के लेखा जोखा करना एवं उसका रख रखाव करना तथा उसके साथ वहीखातों को मैन्टेन करना। तथा ट्रस्ट की बैठकों में उक्त को सचिव के माध्यम से प्रस्तुत करना।
- जहॉं कहीं किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो वहॉं अन्तिम निर्वहन करना।
- सचिव/ ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य करेगा।

(ख) सचिव/ट्रस्टी :–

- ट्रस्ट की वार्षिक बैठको एवं अन्य सभी प्रकार की बैठकों का आयोजन करना।

Scanned by CamScanner

आवेदन सं०: 202500947010924

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 23	वर्ष: 2025

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 700 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 620

श्री सहायता एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट महमदा जिला महराजगंज द्वारा
एजाज अहमद अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री जुमराती अली
व्यवसाय : कृषि
निवासी: सा०महमदा पो० श्यामदेउरवा तहसील सदर जिला महराजगंज

श्री, सहायता एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट महमदा जिला महराजगंज द्वारा एजाज अहमद अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 20/05/2025 एवं 03:40:36 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कमलेश चन्द्र वर्मा
उप निबंधक :सदर
महाराजगंज
20/05/2025

अरूण कुमार .
निबंधक लिपिक
20/05/2025

Scanned by CamScanner

- ट्रस्ट एवं संबन्धित संस्थाओं की समस्त प्रकार की कार्यवाही को बैठक में प्रस्तुत करना एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार समस्त प्रकार के प्रशासनिक कार्य करना।
- अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में समस्त प्रकार के लेखा जोखा करना एवं उसका रख रखाव करना। तथा उसके साथ बहीखातों को मैन्टेन करना।
- ट्रस्ट का सदस्य बनाने हेतु शुल्क प्राप्त करना तथा तदनुसार ही चल/अचल संपत्ति को दान के रूप में प्राप्त करना।
- अपने दायित्वों से संबन्धित समस्त प्रकार के अभिलेखों का रख रखाव करना।

(ग) ट्रस्टी

- ट्रस्ट की बैठक में प्रतिभाग करना तथा मत देना। उपयुक्त सलाह देना।

12. ट्रस्ट का कोषः–

ट्रस्ट की राशि को किसी बैंक/डाकघर में सुरक्षित रखा जायेगा और खाता संचालन किया जायेगा। **"सहायता एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल ट्रस्ट"** के नाम से बैक/डाकघर में खाता खोला जायेगा। **खाता संचालन में अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी एवं सचिव/ट्रस्टी** इन दो के हस्ताक्षर होंगे तथा धनराशि **निकलवाते समय या** चेक जारी करते समय संयुक्त हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।

ट्रस्ट के विघटन की दशा में ऋण एवं देनदारियों को देने के पश्चात् शेष ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्तियों को समान उद्देश्य वाले ट्रस्ट को 'सौंप दिया जायेगा।

किसी भी दशा में ट्रस्ट की सम्पत्तियाँ दानकर्ताओं को वापिस नहीं की जाएगी और न ही ट्रस्टियों में बाँटी जायेंगी।

13. ट्रस्ट डीड में संशोधन :

वर्तमान ट्रस्ट डीड में यदि प्रबन्ध समिति संशोधन करना चाहे तो साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत की सहमति के आधार पर संशोधित किया जा सकेगा जो पंजीकरण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

14. विघटनः–

अगर कभी इस ट्रस्ट का विघटन होता है तो यह **इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882** के अधीन होगा ।

Scanned by CamScanner

आवेदन सं०: 202500947010924

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 23	वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री सहायता एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट महमदा जिला महराजगंज के द्वारा एजाज अहमद, पुत्र श्री जुमराती अली

निवासी: सा०महमदा पो० श्यामदेउरवा तहसील सदर जिला महराजगंज

व्यवसाय: कृषि

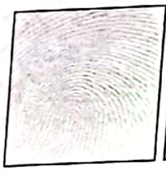

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1 नसीम अली

श्री नसीम अली, पुत्र श्री अब्दुल्लाह

निवासी: सा० पकडी भारत खण्ड जिला महराजगंज

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री मो० निजामुद्दीन, पुत्र श्री अमीनुद्दीन

निवासी: बडहरा बरईपार तहसील सदर जिला महराजगंज

व्यवसाय: कृषि

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कमलेश चन्द्र वर्मा
उप निबंधक : सदर
महाराजगंज
20/05/2025

अरूण कुमार .
निबंधक लिपिक महाराजगंज
20/05/2025

Scanned by CamScanner

मैं श्री एजाज अहमद, पुत्र श्री जुमराती अली, आयु- वर्ष, पता- ग्राम-महमदा, पोस्ट-श्यामदेउरवाँ जिला-महराजगंज (उ0प्र0) दिनांक 20/5/2025 को इस ट्रस्ट का इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत पंजीकरण कराकर इसकी स्थापना करता हूँ।

यह ट्रस्ट मेरे द्वारा अभिलिखित कर हस्ताक्षरित कर दिया गया है ताकि यह प्रमाण रहे और आवश्यकतानुसार काम आए।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक:- 20/05/2025

हस्ताक्षर

(श्री एजाज अहमद)

संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी

गवाहान:-

1. श्री नसीम अली नसीम अली
   पुत्र अब्दुल्लाह
   पता- पकड़ी भराव खण्ड
   जिला- महराजगंज (उ0प्र0)
   मो0नं0- 7398316606
   पिन कोड- 273163

2. श्री मो० निजामुद्दीन
   पुत्र श्री अमीनुद्दीन
   पता- बडहरा बरईपार, पोस्ट- बडहरा बरईपार
   जिला- महराजगंज (उ0प्र0)
   पिन कोड- 273303
   मो0नं0- 8896642044

मसौदा- तैयार कर्ता -

दस्तावेज लेखक
बैजनाथ विश्वकर्मा
अनुज्ञाप्ति नं०-12
तहसील-सदर, जिला-महराजगंज

Scanned by CamScanner

आवेदन सं०: 202500947010924

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 36 के पृष्ठ 111 से 152 तक क्रमांक 23 पर दिनाँक 20/05/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कमलेश चन्द्र वर्मा
उप निबंधक : सदर
महाराजगंज
20/05/2025

उप रजिस्ट्रार सदर महाराजगंज ★ उत्तर प्रदेश ★

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

सहायता एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट

पता– ग्राम–महमदा, पोस्ट–श्यामदेउरवाँ, जनपद–महराजगंज (उ0प्र0)

ट्रस्ट –डीड/ न्यास पत्र

मैं श्री एजाज अहमद, पुत्र श्री जुमराती अली, आयु– 30 वर्ष, पता– ग्राम–महमदा, पोस्ट–श्यामदेउरवाँ, जनपद–महराजगंज (उ0प्र0) 273306 का निवासी हूँ। मैं अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से अर्जित धन में से रू0 10,000– (रूपये दस हजार मात्र) देकर निम्न नामाधारी ट्रस्ट/न्यास की इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत स्थापना करता हूँ। इस ट्रस्ट न्यास का प्रबन्धन, कार्य प्रणाली एवं व्यवस्था निम्न नियमों /उपलब्धों के अन्तर्गत की जायेगी।

1– ट्रस्ट का नाम : "सहायता एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट"

2– रजिस्टर्ड कार्यालय का पता : ग्राम–महमदा, पोस्ट–श्यामदेउरवाँ, जनपद–महराजगंज (उ0प्र0) 273306

3– ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष

4– ट्रस्ट का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जाता है।–

''सहायता एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल ट्रस्ट'' के कार्य व उद्देश्य:–

1. अस्पताल, स्कूल, चिकित्सा, फार्मेसी, प्रबन्धन तथा विधि विद्यालय, योग शिक्षण/प्रशिक्षण केन्द्र, डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह की स्थापना एवं संचालन करना।
2. अस्पताल से जुड़ी समस्त जरूरतों की समय रहते व्यवस्था करना, अस्पतालों में अच्छे से अच्छे डॉक्टरों का प्रबन्ध करना। नये नये उपकरणों और तकनीक की व्यवस्था का प्रबन्ध कराना।
3. परिवार कल्याण एवं उससे संबन्धित अन्य समस्त प्रकार के कार्यक्रम।
4. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का प्रसार, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, योग शिक्षा एवं विशेष रूप से पारम्परिक भारतीय वैदिक विज्ञान तथा वेद, उपनिषद वैदिक, ज्योतिष, आयुर्वेदिक नैसर्गिक चिकित्सा, रत्न विज्ञान, मेडिटेसन (मनन) आदि आधारित शिक्षा, व्यवहार एवं स्वास्थ का विकास।
5. ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएं यानि प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय, चिकित्सा, शिक्षा, नर्सिंग एवं

Scanned by CamScanner